न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2019/00414

1. भंवर लाल
2. राम प्रकाश
3. रामस्वरूप
4. हेमराज पिसरान स्व0 खाना जाति मीणा निवासीगण ग्राम बरूंधन तहसील तालेडा जिला बून्दी ।
5. मोडू लाल आत्मज श्री कल्याण जी जाति मीणा निवासी ग्राम बरूंधन तहसील तालेडा जिला बून्दी ।
6. श्रीमती कैलाश बाई पुत्री कल्याण पत्नी सूरजमल जाति मीणा ग्राम छपावदा तहसील तालेडा जिला बून्दी ।
7. श्रीमती रामधणी पुत्री कल्याण पत्नी मांगीलाल जाति मीणा ग्राम हालीखेडा तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
8. श्रीमती छाहन्या बाई पुत्री कल्याण पत्नी गणपत लाल जाति मीणा निवासी बांकी तहसील एवं जिला बून्दी ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. रामनिवास
2. उमाकान्त पिसरान श्री रतनलाल जाति मीणा निवसीगण ग्राम बरूंधन तहसील तालेडा जिला बून्दी ।
3. श्रीमती ललता बाई पुत्री रतनलाल पत्नी रामलाल जाति मीणा ग्राम रूपनगर तहसील एवं जिला बून्दी ।
4. पारी बाई पुत्री पेमा जी पत्नी कजोड जाति मीणा निवीस छपावदा तहसील तालेडा जिला बून्दी ।
5. गौरा बाई पुत्री पेमा जी पत्नी शंकर लाल जाति मीणा निवासी हालीहेडा तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
6. रतनी बाई पुत्री पेमा पत्नी लोडकी लाल जी जाति मीणा निवीस चितावा मेन रोड तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
7. बजरंगी बाई पुत्री खाना जी पत्नी गणेश राम जाति मीणा ग्राम सांवलपुरा तहसील एवं जिला बून्दी ।
8. द्वारका बाई पुत्री खाना जाति मीणा निवासी बरूंधन तहसील तालेडा जिला बून्दी ।
9. सुगना बाई पुत्री खाना जी पत्नी गोबरी लाल जाति मीणा निवासी देवपुरा बून्दी ।
10. उर्मिला पुत्री खाना पत्नी रामलाल जाति मीणा निवासी ईश्वरपुरा तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
11. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, तालेडा जिला बून्दी ।
12. राजस्थान राज्य जरिये जिला कलक्टर, बून्दी ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री तेजमल जैन, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री प्रकाश चन्द भण्डारी, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 06.11.2020

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तालेडा जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.06.2016 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89 एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम बरूंधन तहसील तालेडा जिला बून्दी में 12 किता की रकबा 83 बीघा 03 बिस्वा भूमि स्थित है । उक्त भूमि पेमा आत्मज अमरा के फौत होने पर इंतकाल संख्या 2522 दिनांक 12.11.2014 से पेमा फौत बेवा फौत व पुत्र खाना फौत के स्थान पर वादीगण कम 1 से 5 व प्रतिवादी संख्या 5 लगायत 8 हिस्सा 1/6 व वादी कम 06 कल्याण प्रतिवादी संख्या 1 रतन लाल व प्रतिवादी कम 2 लगायत 4 हिस्सा 5/6 के नाम अंकित हैं । पक्षकारान आपसी सहमति के आधार पर अपने–अपने हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त हैं । उक्त भूमि पक्षकारान की पैतृक सम्पत्ति है । पक्षकारान मीणा जाति के सदस्य हैं जिन पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम लागू नहीं होता है । राजस्व कर्मचारियों ने वादीगण व प्रतिवादी कम 1 के साथ–साथ प्रतिवादी कम 1 लगायत 8 का नाम भी अंकित कर दिया है जो विलोपित होने योग्य है । प्रतिवादी कम 01 प्रतिवादी कम 02 लगायत 04 को अपने पक्ष में करके वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि को अपने पक्ष में रिलीज डीड अथवा विक्रय का पंजीयन करवाने पर आमादा हैं जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है ।

3. अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी से प्रतिवादी कम 2 लगायत 4 का नाम अवैध दर्ज होने से विलोपित किया जाकर वादीगण का नाम प्रतिवादी कम 2 लगायत 4 के स्थान पर बतौर खातेदार घोषित किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अंकित किया जावे । प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे वादग्रस्त आराजी को प्रतिवादी बिना विभाजन करवाये रहन, बेचान एवं अन्य किसी व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं करें तथा राजस्व रिकॉर्ड में कोई परिवर्तन नहीं करें । उक्त कृत्य न तो स्वयं प्रतिवादीगण करें और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावें ।

4. प्रतिवादी कम 1 की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत कर वादपत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार करते हुए वादीगण का वादपत्र खारिज करने का कथन किया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.06.2016 के द्वारा वाद वादीगण खारिज कर दिया ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.06.2016 से व्यथित होकर वादीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट के अभिभाषक को कैम्प की कोई सूचना नहीं दी और पत्रावली को कैम्प कोर्ट में रखकर एकतरफा निर्णय पारित किया है । पेमा की मृत्यु के बाद जो नामान्तरकरण खुला उसमें पेमा के पुरूष उत्तराधिकारियों के अतिरिक्त महिलाओं के नाम भी दर्ज कर दिये गये जबकि पक्षकारान अनुसूचिज जनजाति के सदस्य हैं जिन पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम लागू नहीं होता है । अधीनस्थ न्यायालय ने सीपीसी की पालना किये बिना उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की है जो त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.06.2016 निरस्त फरमाया जावे ।

7. अपीलान्ट ने अपील के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का पेश कर कथन किया कि अपीलान्टगण को उक्त अपीलाधीन निर्णय की जानकारी समय पर नहीं हुंई क्योंकि अपीलान्टगण को कैम्प कोर्ट की कोई सूचना नहीं दी गई । पत्रावली कैम्प कोर्ट में रखकर एकतरफा निर्णय पारित कर दिया । इंतकाल की अपील होने पर प्रतिवादीगण ने उसमें उक्त निर्णय की नकल पेश की जिसकी भी सूचना वकील साहब ने प्रार्थीगण को नहीं दी । प्रार्थीगण जब इंतकाल की अपील में हुए निर्णय के विरूद्ध अपील कराने कोटा आये तब अपने वकील साहब से उक्त निर्णय पढवाने पर उक्त अपीलाधीन निर्णय की जानकारी हुई जिस पर दिनांक 04.10.2019 को नकल का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया और नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

8. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

9. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि वादीगण अपीलान्ट के द्वारा हक घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का दावा अधीनस्थ न्यायालय मे पेश किया गया था । दावे में प्रतिवादीगण क्रम 1 लगायत 4 की ओर से वकलतनामा पेश करने और प्रतिवादी क्रम 5 लगायत 10 की तलबी हेतु तारीख दी गई और इसे लोक अदालत में रखा गया । लोक अदालत में पक्षकारान उपस्थित नहीं हुए हैं और उसी दिन गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करते हुए दावा वादीगण खारिज किया गया है । सीपीसी की पालना नहीं की गई है । पक्षकारान अनुसूचिज जनजाति के सदस्य हैं जिन पर पुराना हिन्दू लॉ लागू होता है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.06.2016 निरस्त फरमाया जावे ।

10. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि निर्णय सन् 2016 में पारित किया गया है जिसकी अपील सन् 2019 में पेश की गई है जो गंभीर रूप से अवधि बाधित है। विलम्ब का समुचित कारण नहीं बताया गया है । धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में जो विलम्ब के कारण अंकित किये गये हैं वो सही नहीं हैं । नामान्तरकरण की अपील जिला कलक्टर के समक्ष की गई थी । जिला कलक्टर के न्यायालय की आदेशिका के अनुसार वो वहॉ उपस्थित हुए हैं । दिनांक 02.04.2019 की आदेशिका के अनुसार वकील अपीलान्ट

उपस्थित हैं व रेस्पोडेन्ट की ओर से फर्द के साथ दस्जावेज पेश किये गये हैं । तद्नुसार दिनांक 02.04.2019 को ही उन्हें निर्णय की जानकारी हो चुकी थी । न्यायालय जिला कलक्टर के द्वारा दिनांक 08.07.2019 को अपील खारिज की गई है । धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में विलम्ब का समुचित कारण नहीं बताया गया है । जब तक पंजीकृत दस्तावेज को सिविल न्यायालय से अपास्त नहीं करवाया जाता है तब तक राजस्व न्यायालय में दावा चलने योगय नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.06.2016 बहाल रखा जावे । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में आरआरटी 2011 (1) पेज 65, आरआरडी 2011 पेज 387, आरआरटी 2009 (2) पेज 797, आरआरडी 2002 पेज 723, आरआरडी 2002 पेज 77, आरआरडी 2009 पेज 750 उद्धरत की ।

11. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली तलबी एवं वकालतनामा पेश करने के लिए लम्बित थी और इसे लोक अदालत में रखा गया । लोक अदालत में पक्षकारान का उपस्थित होना आदेशिका में अंकित किया गया है परन्तु किसी भी पक्षकारान के हस्ताक्षर नहीं कराये गये हैं । पक्षकारों के द्वारा कोई राजीनामा पेश नहीं किया गया है और उसी दिन गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित किया गया है जो सीपीसी के प्रावधानों के विपरीत है ।

12. लोक अदालत में केवल उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमें उभय पक्ष उपस्थित होकर विधिक राजीनामा पेश करे । इसके अभाव में दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी का स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए विधि सम्मत रूप से गुणावगुण के आधार निर्णय पारित करना अनिवार्य होता है । इस दृष्टि से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री त्रुटिपूर्ण होने से खारिज होने योग्य है ।

13. विद्वान् अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने प्रथम आपत्ति विलम्ब को लकर की है जहॉ तक विलम्ब का प्रश्न है अपील विलम्ब से पेश की गई है और धारा 05 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश किया गया है । विद्वान् अभिभाषक रेस्पोडेन्ट के द्वारा उद्धरत नजीर आरआरडी 2011 पेज 387 और आरआरटी 2009 (2) पेज 797 में यह होल्ड किया गया है कि विलम्ब के प्रश्न को प्रारम्भ में तय किया जावे । तद्नुसार धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र का निस्तारण गुणावगुण के पूर्व किया जा रहा है । चूॅकि अधीनस्थ न्यायालय ने सीपीसी की पालना किये बिना निर्णय पारित किया है जो अवैध है और ऐसा निर्णय जो अवैध होता है उस मामले में मियाद का प्रश्न गौण हो जाता है । तद्नुसार इस प्रकरण में धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर विलम्ब को क्षम्य किया जाना उचित समझते हैं ।

14. विद्वान् अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने आरआरटी 2011 (1) पेज 65 उद्धरत की है जिसमें यह होल्ड किया है कि जब तक गिफ्ट डीड को निरस्त नहीं करवाया जाता है तब तक नामान्तरकरण निरस्त नहीं हो सकता । आरआरडी 2002 पेज 77 में यह होल्ड किया गया है कि गिफ्ट डीड वोईड है अथवा वोईडेवल है यह सिविल न्यायालय के द्वारा तय किया जाता है न कि राजस्व न्यायालय के द्वारा । परन्तु इस कम में हमारा मत है कि इन समस्त विधिक प्रावधानों का विनिश्चय जवाबदावा प्राप्त होने के उपरान्त तनकीयात कायम करने के उपरान्त ही किया जा सकता है ।

15. लोक अदालत में बिना जवाबदावा प्राप्त किये बिना पक्षकारान के राजीनामे के गुणावगुण के आधार पर इस बाबत् कोई निर्णय पारित नहीं किया जा सकता । तद्नुसार अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण है और निरस्त किये जाने योग्य है । हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

16. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.06.2016 निरस्त किया जाता है । प्रकरणं अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी का स्पष्ट विवेचन करते हुए सीपीसी की पालना करते हुए गुणावगुण के आधार पर विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 28.12.2020 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

17. निर्णय आज दिनांक 06.11.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

6/11/2020

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा